जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा. / स.स. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2018 / डी– 87 दिनांकः– 17/1/2018

श्री रामसिंह राजावत, श्रीमती सायर कंवर,
श्री देववृत सिंह राजावत, श्री अनिरूद्ध सिंह राजावत,
317ए, महावीर नगर–प्रथम, टौंक रोड़, जयपुर।

विषयः– खसरा नम्बर 46 / 182, 51, 52, 57, ग्राम चक सालिगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2017 के संदर्भ में जो प्रस्ताव खसरा नम्बर 46 / 182, 51, 52, 57, ग्राम चक सालिगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित भूखण्ड (5861.42 वर्गमीटर क्षेत्रफल) के 39.95 मीटर (बेसमेन्ट + स्टिल्ट + 12 तल) ऊँचाई के प्रस्तावित प्रधानमंत्री जन आवास योजना के मानचित्र भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 196वीं बैठक दिनांक 05.09.2017 एवं 197वीं बैठक दिनांक 27.10.2017 को अनुमोदित किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 196वीं बैठक दिनांक 05.09.2017 एवं 197वीं बैठक दिनांक 27.10.2017 के निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ दी जाती है:–

1. यह भवन अनुज्ञा दिनांक 23.05.2020 (दिनांक 24.05.2013 को जारी लीजडीड के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार) तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान / जोनल प्लान / भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त / उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन–09 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संबंधित उपायुक्त जोन 09 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिडकियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार–पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होगें तथा इसकी सूचना संबंधित उपायुक्त जोन को देगा।
15. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।

16. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें।
17. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
18. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) रखें जावें तथा इनको संचालित करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहें।
19. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
21. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
23. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
24. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा पर्यावरण अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना अपने स्तर पर सुनिश्चित की जावे तथा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
25. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
26. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
27. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (06 मानचित्र)

भवदीय,

12/1/18

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन–09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक–बीपीसी (बी.पी.), जविप्रा, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. सहायक नगर नियोजक, जोन–09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

E:\New Folder\bpc-2\bpc\Section letter\19 Point Section Letter-2.doc

SHEET NO. 01

SITE PLAN

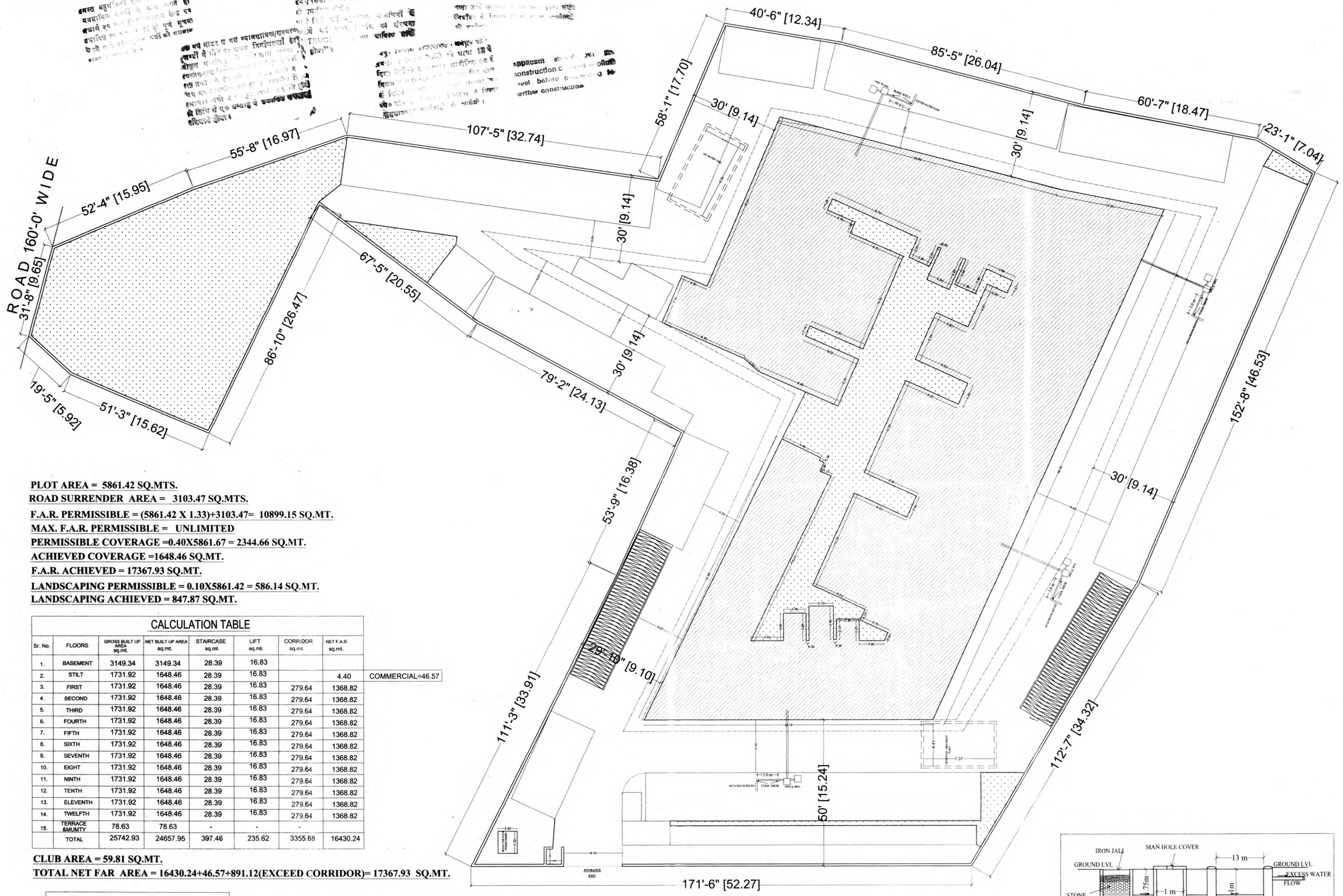

PLOT AREA = 5861.42 SQ.MTS.
ROAD SURRENDER AREA = 3103.47 SQ.MTS.
F.A.R. PERMISSIBLE = (5861.42 X 1.33)+3103.47= 10899.15 SQ.MT.
MAX. F.A.R. PERMISSIBLE = UNLIMITED
PERMISSIBLE COVERAGE =0.40X5861.67 = 2344.66 SQ.MT.
ACHIEVED COVERAGE =1648.46 SQ.MT.
F.A.R. ACHIEVED = 17367.93 SQ.MT.
LANDSCAPING PERMISSIBLE = 0.10X5861.42 = 586.14 SQ.MT.
LANDSCAPING ACHIEVED = 847.87 SQ.MT.

CALCULATION TABLE

Sr. No.	FLOORS	GROSS BUILT UP AREA sq.mt.	NET BUILT UP AREA sq.mt.	STAIRCASE sq.mt.	LIFT sq.mt.	CORRIDOR sq.mt.	NET F.A.R. sq.mt.	
1.	BASEMENT	3149.34	3149.34	28.39	16.83			
2.	STILT	1731.92	1648.46	28.39	16.83		4.40	COMMERCIAL=46.57
3.	FIRST	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
4.	SECOND	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
5.	THIRD	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
6.	FOURTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
7.	FIFTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
8.	SIXTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
9.	SEVENTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
10.	EIGHT	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
11.	NINTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
12.	TENTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
13.	ELEVENTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
14.	TWELFTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
15.	TERRACE &MUMTY	78.63	78.63	-	-	-		
	TOTAL	25742.93	24657.95	397.46	235.62	3355.68	16430.24	

CLUB AREA = 59.81 SQ.MT.
TOTAL NET FAR AREA = 16430.24+46.57+891.12(EXCEED CORRIDOR)= 17367.93 SQ.MT.

PARKING CALCULATIONS:-

NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER

RESIDENTIAL PARKING $\frac{\text{FAR ACHIEVED}}{75} = \frac{16430.24}{75} = 219.06$ E.C.U

COMMERCIAL PARKING $\frac{\text{FAR ACHIEVED}}{50} = \frac{46.57}{50} = 0.93$ E.C.U

+ 25% EXTRA VISITOR PARKING = 219.99 X1.25 = 274.98 E.C.U

PARKING AVAILABLE =
CAR PARK IN OPEN AREA = 90 NO.S
CAR PARK IN STILT AREA = 45 NO.S
CAR PARK IN BASEMENT AREA = 72 NO.S

TOTAL = 207 NO.S

TWO WHEELERS IN BASEMENT AREA = 100 NO.S
TWO WHEELERS IN STILT AREA = 53 NO.S
TWO WHEELERS IN OPEN AREA = 53 NO.S

TOTAL = 206 (68.66 E.C.U.) NO.S

TOTAL PARKING PROVIDED = 207+68.66 = 275.66 E.C.U.

UNIT AREA CALCULATION
AS PER PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA
EWS CARPET AREA =30 SQ.MTR.
LIG CARPET AREA = 60 SQ.MTR
ACHIEVED AREA
EWS CARPET AREA =28.50 SQ.MTR.
LIG CARPET AREA = 46.10 SQ.MTR.

SITE PLAN

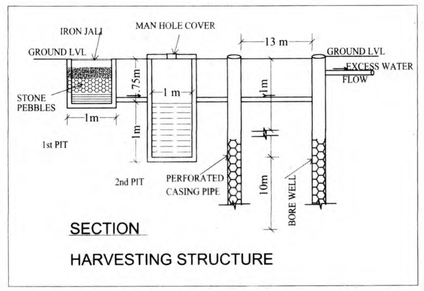

SECTION
HARVESTING STRUCTURE

NOTE:-
PROPOSED EWS,LIG,GROUP HOUSING UNDER "PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA" AT KH. NO. 46\182, 51,52,57 IN CHAK SALIGRAMPURA THE. SANGANER, JAIPUR

DRAWING TITLE :-
SITE PLAN

PROJECT TITLE:-
"AVADH HOMES"

DZINE SOLUTION
Head office-
109,110 Coral studio-1,Plot no. B-64,65
sehakar marg, Lalkothi, Jaipur-302015

SCALE 1:200

NORTH POINT

Ar. Mahinder Kumar
ARCHITECT
CA/2010/50811

OWNER

ARCHITECT

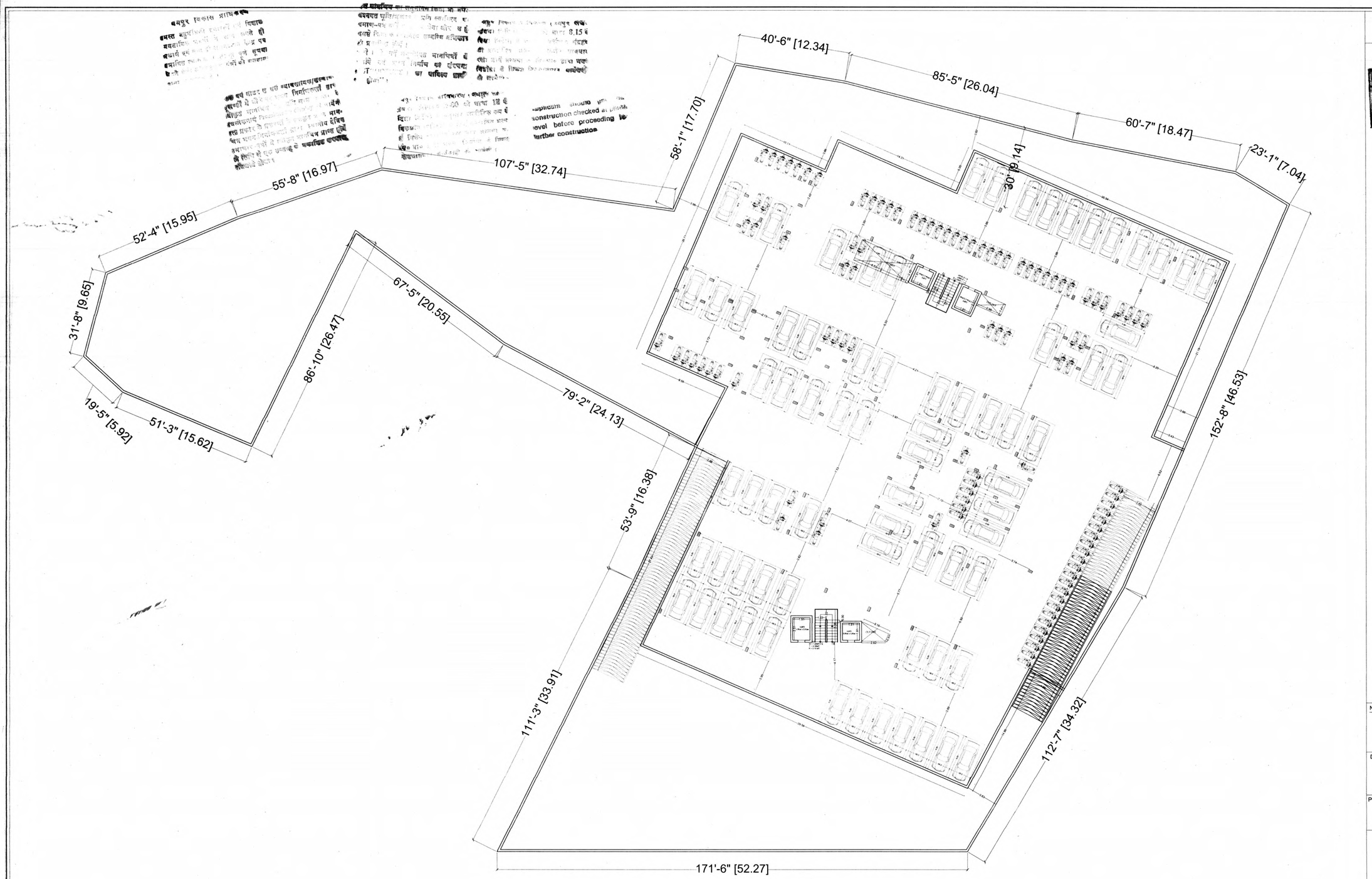

BASEMENT FLOOR PLAN

SHEET NO. 02

BASEMENT FLOOR PLAN

NOTE:-
PROPOSED EWS,LIG,GROUP HOUSING UNDER "PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA" AT KH. NO. 46\182, 51,52,57 IN CHAK SALIGRAMPURA THE. SANGANER, JAIPUR

DRAWING TITLE :-
BASEMENT FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-
"AVADH HOMES"

DZINE SOLUTION
Head office-
109,110 Coral studio-1,Plot no. B-64,65
sehakar marg, Lalkothi, Jaipur-302015

SCALE 1:200

NORTH POINT

Ar. Mahinder Kumar
ARCHITECT
CA/2010/50811

OWNER

ARCHITECT

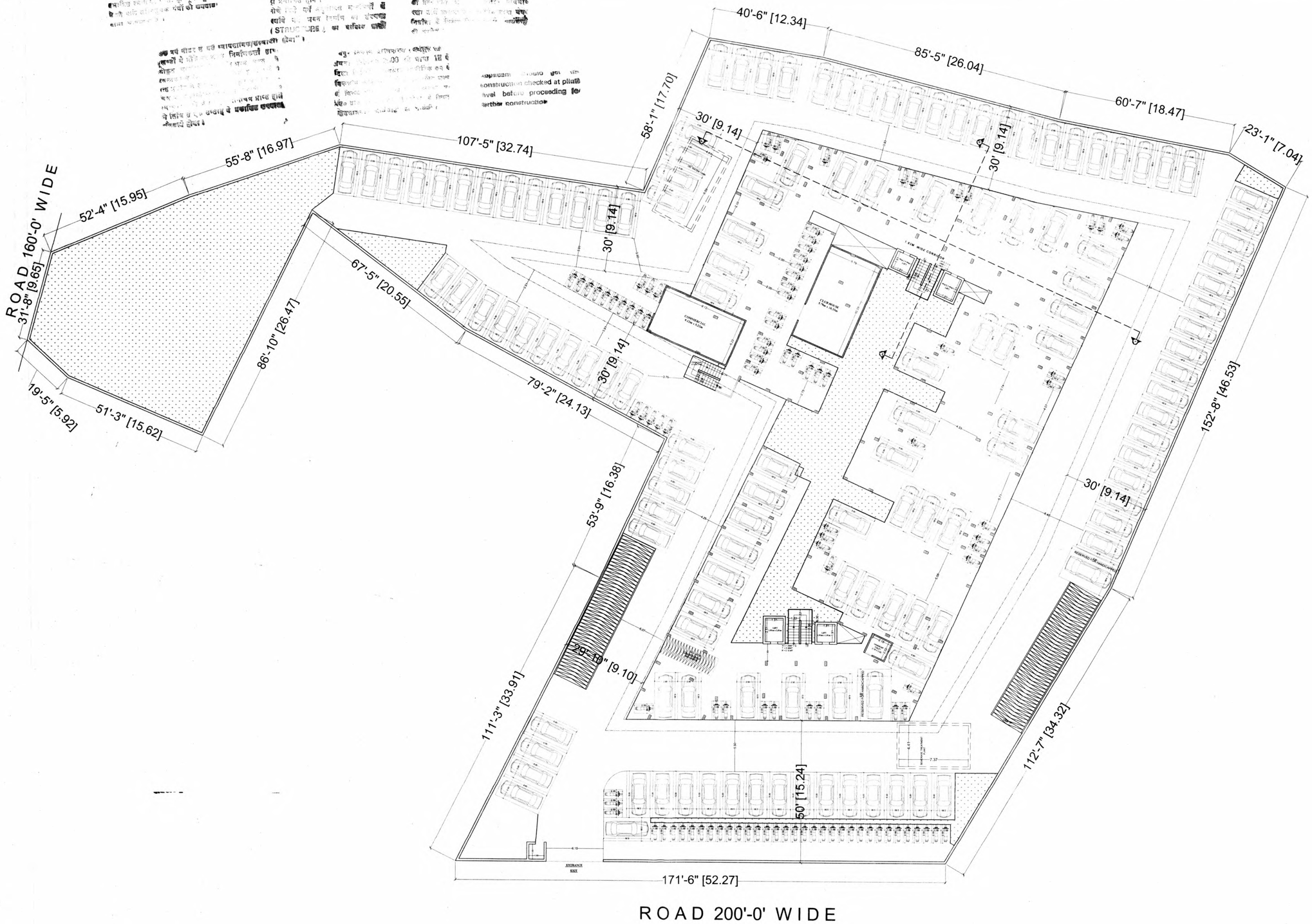

STILT FLOOR PLAN

SHEET NO. 03

STILT FLOOR PLAN

NOTE:-
PROPOSED EWS,LIG,GROUP HOUSING UNDER "PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA" AT KH. NO. 46\182, 51,52,57 IN CHAK SALIGRAMPURA THE. SANGANER, JAIPUR

DRAWING TITLE :-
STILT FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-
"AVADH HOMES"

DZINE SOLUTION
Head office-
109,110 Coral studio-1,Plot no. B-64,65
sehakar marg, Lalkothi, Jaipur-302015

SCALE 1:200

NORTH POINT

Ar. Mahinder Kumar
ARCHITECT
CA/2010/50811

OWNER

ARCHITECT

PLOT AREA = 5861.42 SQ.MTS.
ROAD SURRENDER AREA = 3103.47 SQ.MTS.
F.A.R. PERMISSIBLE = (5861.42 X 1.33)+3103.47= 10899.15 SQ.MT.
MAX. F.A.R. PERMISSIBLE = UNLIMITED
PERMISSIBLE COVERAGE =0.40X5861.67 = 2344.66 SQ.MT.
ACHIEVED COVERAGE =1648.46 SQ.MT.
F.A.R. ACHIEVED = 17367.93 SQ.MT.
LANDSCAPING PERMISSIBLE = 0.10X5861.42 = 586.14 SQ.MT.
LANDSCAPING ACHIEVED = 847.87 SQ.MT.

CALCULATION TABLE

Sr. No.	FLOORS	GROSS BUILT UP AREA sq.mt.	NET BUILT UP AREA sq.mt.	STAIRCASE sq.mt.	LIFT sq.mt.	CORRIDOR sq.mt.	NET F.A.R. sq.mt.	
1.	BASEMENT	3149.34	3149.34	28.39	16.83			
2.	STILT	1731.92	1648.46	28.39	16.83		4.40	COMMERCIAL=46.57
3.	FIRST	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
4.	SECOND	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
5.	THIRD	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
6.	FOURTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
7.	FIFTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
8.	SIXTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
9.	SEVENTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
10.	EIGHT	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
11.	NINTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
12.	TENTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
13.	ELEVENTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
14.	TWELFTH	1731.92	1648.46	28.39	16.83	279.64	1368.82	
15.	TERRACE &MUMTY	78.63	78.63	-	-	-		
	TOTAL	25742.93	24657.95	397.46	235.62	3355.68	16430.24	

CLUB AREA = 59.81 SQ.MT.
TOTAL NET FAR AREA = 16430.24+46.57+891.12(EXCEED CORRIDOR)= 17367.93 SQ.MT.

PARKING CALCULATIONS:-

NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER

RESIDENTIAL PARKING $\frac{\text{FAR ACHIEVED}}{75} = \frac{16430.24}{75} = 219.06$ E.C.U

COMMERCIAL PARKING $\frac{\text{FAR ACHIEVED}}{50} = \frac{46.57}{50} = 0.93$ E.C.U

+ 25% EXTRA VISITOR PARKING = 219.99 X1.25 = 274.98 E.C.U

PARKING AVAILABLE =
CAR PARK IN OPEN AREA = 90 NO.S
CAR PARK IN STILT AREA = 45 NO.S
CAR PARK IN BASEMENT AREA = 72 NO.S
TOTAL = 207 NO.S

TWO WHEELERS IN BASEMENT AREA = 100 NO.S
TWO WHEELERS IN STILT AREA = 53 NO.S
TWO WHEELERS IN OPEN AREA = 53 NO.S
TOTAL = 206 (68.66 E.C.U.) NO.S

TOTAL PARKING PROVIDED = 207+68.66 = 275.66 E.C.U.

UNIT AREA CALCULATION
AS PER PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA
EWS CARPET AREA =30 SQ.MTR.
LIG CARPET AREA = 60 SQ.MTR
ACHIEVED AREA
EWS CARPET AREA =28.50 SQ.MTR.
LIG CARPET AREA = 46.10 SQ.MTR.

TYPICAL FLOOR PLAN (1ST TO 12TH FLOOR)

SHEET NO. 04

TYPICAL FLOOR PLAN

NOTE:-
PROPOSED EWS,LIG,GROUP HOUSING UNDER "PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA" AT KH. NO. 46\182, 51,52,57 IN CHAK SALIGRAMPURA THE. SANGANER, JAIPUR

DRAWING TITLE :-
TYPICAL FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-
"AVADH HOMES"

DZINE SOLUTION
Head office-
109,110 Coral studio-1,Plot no. B-64,65
sehakar marg, Lalkothi, Jaipur-302015

SCALE 1:200

NORTH POINT
NO

Ar. Mahinder Kumar
ARCHITECT
CA/2010/50811

OWNER

ARCHITECT

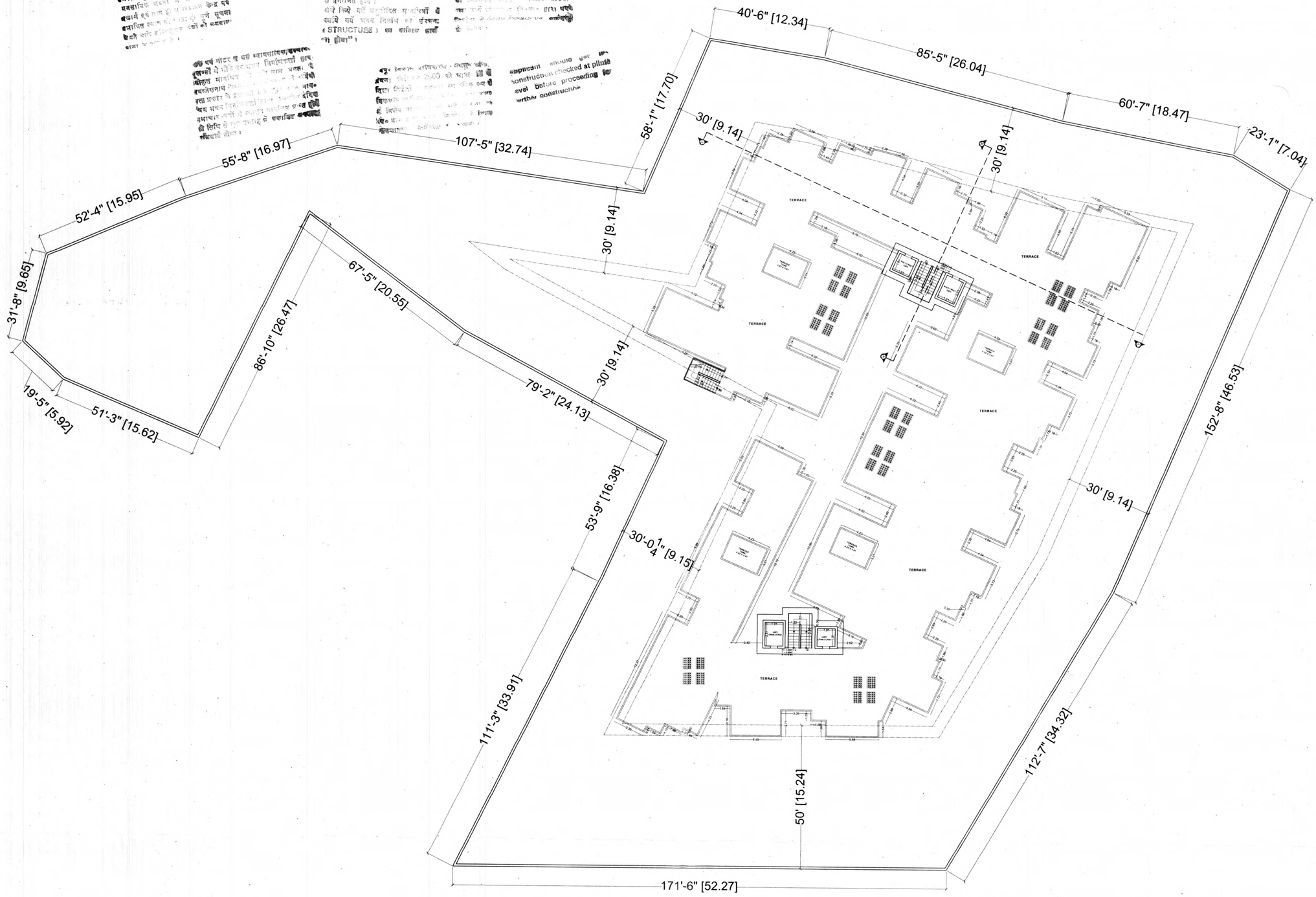

TERRACE FLOOR PLAN

SHEET NO. 05

TERRACE FLOOR PLAN

NOTE:-
PROPOSED EWS,LIG,GROUP HOUSING UNDER "PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA" AT KH. NO. 46\182, 51,52,57 IN CHAK SALIGRAMPURA THE. SANGANER, JAIPUR

DRAWING TITLE :-
TERRACE FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-
"AVADH HOMES"

DZINE SOLUTION
Head office-
109,110 Coral studio-1,Plot no. B-64,65
sehakar marg, Lalkothi, Jaipur-302015

SCALE 1:200

NORTH POINT

Ar. Mahinder Kumar
ARCHITECT
CA/2010/50811

OWNER

ARCHITECT

SHEET NO. 06

ELEVATION & SECTION

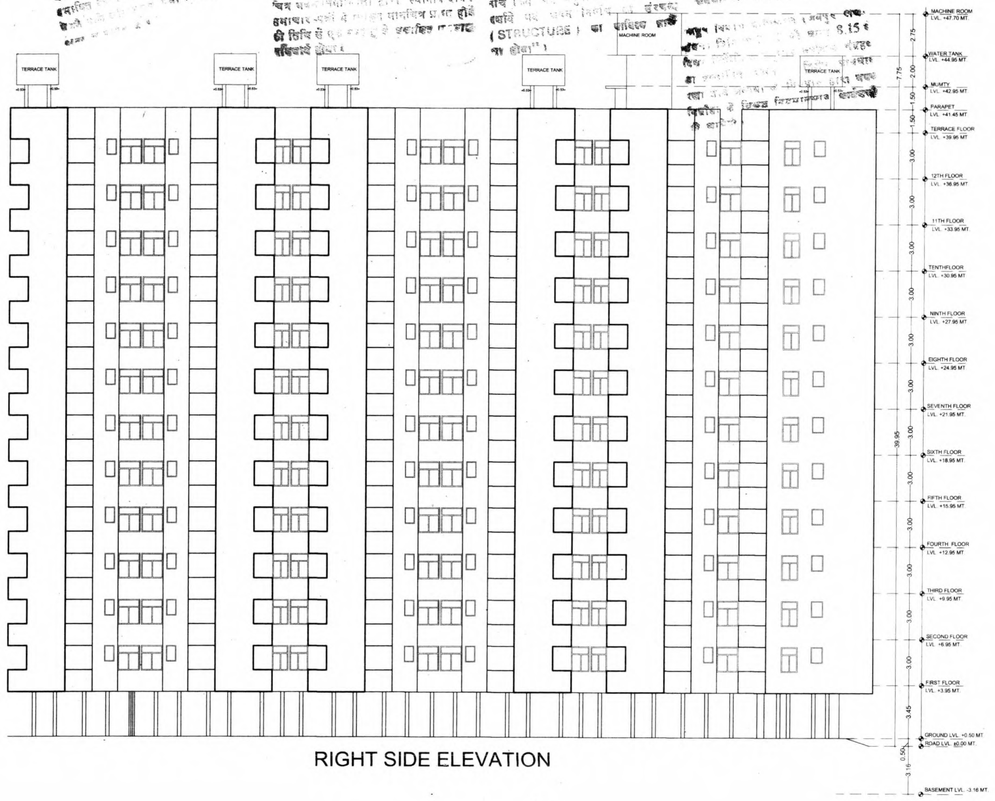

RIGHT SIDE ELEVATION

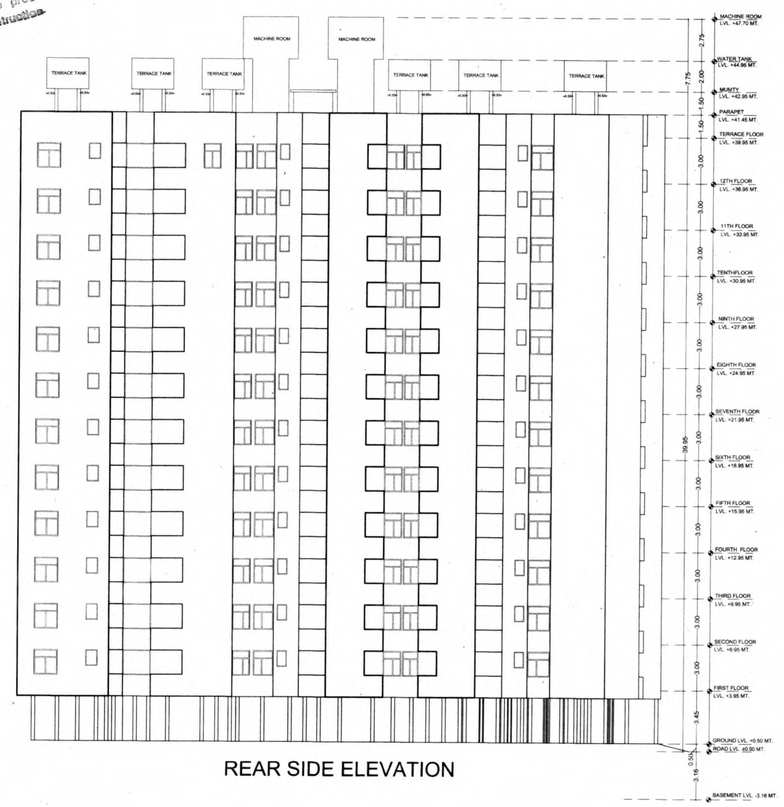

REAR SIDE ELEVATION

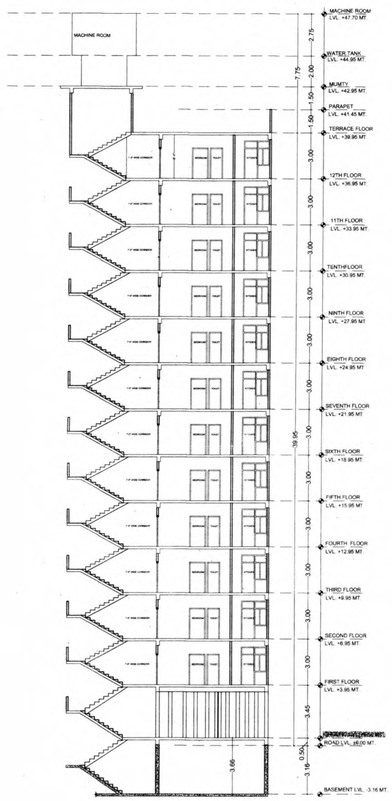

SECTION -X-X'

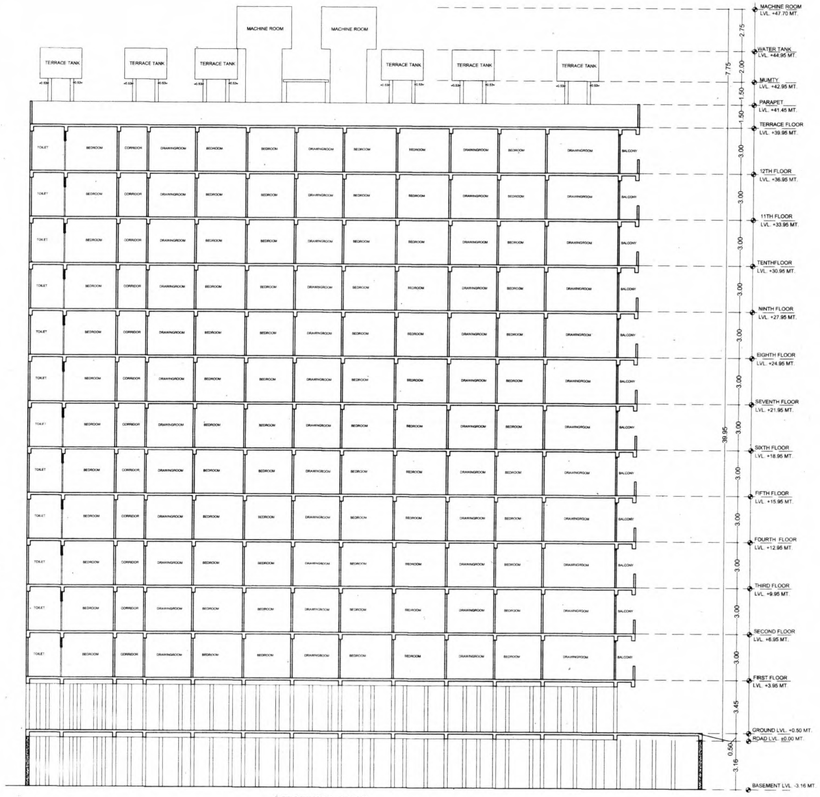

SECTION -Y-Y'

NOTE:-

PROPOSED EWS,LIG,GROUP HOUSING UNDER "PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA" AT KH. NO. 46\182, 51,52,57 IN CHAK SALIGRAMPURA THE. SANGANER, JAIPUR

DRAWING TITLE :-

ELEVATION & SECTION

PROJECT TITLE:-

"AVADH HOMES"

DZINE SOLUTION

Head office-
109,110 Coral studio-1,Plot no. B-64,65
sehakar marg, Lalkothi, Jaipur-302015

SCALE 1:200

NORTH POINT

Mahinder Kumar

Ar. Mahinder Kumar
ARCHITECT
CA/2010/50811

OWNER

ARCHITECT